


6/7
2021

पत्रावली पेश हुई। वकील सार्पोगन उपस्थित।
 वकील सार्पोगन की एक पक्षीय बहस सुनी गई।
 पत्रावली का एवं शैलमन इश्लवेज राजस्व रेकार्ड एवं
 मू० क्षमिलेव निरीक्षक नंगवली की रिपोर्ट का अवलोकन
 कर परीक्षण किया गया बाद परीक्षण पाया गया
 कि सार्पोगन को अपनी खातेदारी भूमि पर कास्टेड
 भाने-जाने के लिए प्रस्तावित रास्ता के अलावा
 और कोई वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध नहीं होना
 पाया गया। अतः सार्पोगन का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत
 धारा 251(A) राजस्व कास्टकारी अधिनियम 1955
 स्वीकार किया जाएगा। निम्न पृष्ठक सैलिया
 जाकर शामिल पत्रावली किया गया। निम्न की
 प्रति पास्तार्क हस्तलिखित डूंगला को वरिष्ठ
 शाख भेजी जावे। पत्रावली केवल सुमाएकेट
 नम्बर से कम हो।


अखण्ड अधिकारी
 डूंगला

